

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)(स्थाईकरण)/08/अलेसे-II/

जयपुर,

दिनांक: 22/09/2014

आदेश संख्या 82 /2014-15

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी लेखाकार जिन्हें दो वर्ष के परिवीक्षाकाल के लिए स्थाई पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवानियम 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं लेखाकार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है।

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पे बेण्ड 9300-34800 में मूल वेतन 14430/- (9300+4200 ग्रेड पे) एवं तदनुसार भत्ते देय होंगे।

क. सं.	लिंक नं.	मेरिट संख्या	नाम लेखाकार सर्वश्री	जन्मतिथि	लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षा प्रशिक्षणकाल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9100	006/2008	हरिओम मीणा	01/07/1979	21/05/2012	20.05.14	21.05.14
2	9135	41/2008	यश कुमार जोरम, अजा	23/07/1983	21/05/2012	20.05.14	21.05.14

लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है, का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03(iv) के निर्देशानुसार राजस्थान सेवानियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)(स्थाईकरण)/08/अलेसे-II/7083-90

जयपुर,

दिनांक: 22/09/2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
3. कोषाधिकारी.....
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण करने हेतु।
6. श्रीलेखाकार, कार्यालय.....
7. निजी पत्रावली/गार्डफाईल।

(कै. एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)